UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–3286–औ0सं0 / 2017–26(2)–ए0एस0 / 06 दिनांक 01 जुलाई, 2017

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा एवं केस्को कानपुर।

विषय :–वाह्य सेवा प्रदाता आउट–सोर्सिंग (ठेकेदारों / संविदाकारों) द्वारा उपकेन्द्रों / लाइनों के अनुरक्षण आदि के कार्य में नियोजित संविदा श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कारपोरेशन प्रबन्धन के समक्ष कर्मचारी संगठनों द्वारा यह संज्ञान में लाया जा रहा है कि कतिपय खण्ड़ों में संविदाकारों द्वारा संविदा श्रमिकों से समयावधि से अधिक कार्य लिया जा रहा है, मजदूरी का समय से भुगतान नहीं हो रहा है तथा श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान चेक अथवा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से नहीं किया जा रहा है जिसे कारपोरेशन प्रबन्धन ने गम्भीरता से लिया है। आप अवगत ही है कि श्रम कानूनों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा समय–समय पर आवश्यक निर्देश दिये गये है। उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कारपोरेशन के निर्गत आदेश संख्या–3032–औ0सं0 / 2016–26(2)ए0एस0 / 06 दिनांक 25.07.2016, संख्या–3274–औ0सं0 / 2016–26(2) ए0एस0 / 06 दिनांक 16.08.2016 एवं सं0–4242–औ0सं0 / 2016–26(2) ए0एस0 / 06 दिनांक 24.10.2016 एवं पूर्व में प्रेषित अन्य आदेशों को संज्ञान में लेते हुये श्रम कानूनों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करायें। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या से भी मुख्यालय को अवगत करायें ताकि उच्च अधिकारियों को वस्तुस्थित से संज्ञानित कराया जा सके।

भवदीय

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

संख्या–3286–औ0सं0 / 2017–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), क्षेत्र मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल / केस्को कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, की वेबसाइट www. uppcl. org पर अपलोड करने हेतु।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)